म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/समन्वय/ज.से.अभि./2023/1846 भोपाल, दिनांक 30 /05/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर,
सागर, जबलपुर, रीवा

विषय- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के संबंध में।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मंडी बोर्ड/समन्वय/ज.से.अभि./1152 दिनांक 09-05-2023 एवं पत्र क्रमांक 1842 दिनांक 25-05-2023

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक/जीएडी/34/0002/2023/1/9 भोपाल दिनांक 26-04-2023 से जारी दिशा-निर्देश जिसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान (दिनांक 10-05-2023 से 31-05-2023 तक) द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश की कृषि उपज मंडियों समितियों द्वारा व्यापारियों, हम्माल तुलावटियों, पक्का अढतिया, प्रसंस्करणकर्ता, फल-सब्जी व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करने तथा अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया को त्वरित निराकरण करने हेतु संलग्न परिशिष्ट-01 में उल्लेखित मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित सेवाओ क्रमांक 51 से 56 तक का निराकरण समय-सीमा में किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के संबंध में दिनांक 29/05/2023 को सांय 05:30 बजे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत मंडी/मंडी बोर्ड से संबंधित अनुज्ञप्ति संबंधित प्राप्त प्रकरणो/आवेदनों के निराकरण संबंधी वर्चुअल मीटिंग का आयोजन कर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त संचालक/उप संचालको द्वारा अपने अधिनस्थ जिलों में प्राप्त व्यापारियों, हम्माल तुलावटियों, पक्का अढतिया, प्रसंस्करणकर्ता, फल-सब्जी व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करने तथा अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया का त्वरित निराकरण करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही नही की गई है।

समीक्षा के दौरान संयुक्त संचालकों/उप संचालकों द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/निराकृत प्रकरणों/लंबित प्रकरणों की स्थिति बताई गई जो निम्नानुसार है :-

क्र	संभाग का नाम	लंबित प्रकरणो/आवेदनों की संख्या
1	भोपाल	27
2	इंदौर	---
3	सागर	29
4	जबलपुर	42
5	रीवा	71
6	उज्जैन	170
7	ग्वालियर	391

ग्वालियर तथा इंदौर के संयुक्त संचालक बैठक में अनुपस्थित रहे, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

रीवा संभाग अंतर्गत शहडोल जिलें में सबसे अधिक आवेदन लंबित बताये गये है इसके लिये शहडोल जिले के नोडल अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति शहडोल (श्री कुंवर साय) को कारण बताओ सूचना पत्र दिये जाने हेतु संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड रीवा को निर्देशित किया गया।

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत मंडी बोर्ड/मंडी समिति से संबंधित हम्मालों/तुलावटियों/व्यापारियों/पक्का आडतिया/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता इत्यादि को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कार्य शासन द्वारा उक्त अभियान अंतर्गत शामिल किया गया है। मुख्यत: मंडियों में कार्यरत हम्मालों/तुलावटियों के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करना/अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कार्य किया जाना है उपरोक्तानुसार अधिकतर (हम्माल/तुलावटी) कम शिक्षित रहते है ऐसे आवेदकों के कार्य को मंडी सचिव/मंडी कर्मचारी विशेष रूप से सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुये ऐसे आवेदको का कार्य समय-सीमा में प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये संबंधितो को वर्चुअल बैठक/वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देशित करने हेतु निर्देश दिये गये। अधिकतर मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन कराये जाने संबंधी बांते सज्ञान में लायी गई ऐसे प्रकरणो में संबंधित सचिव मंडी स्वयं व्यक्तिरूप से पहल कर स्थानीय पुलिस प्रशासन/थाना प्रभारी से संपर्क कर आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में कर सकते है।

व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओ के नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने/अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने के प्रकरणों में संबंधितों से (व्यक्तिगत/सामूहिक) प्रतिभूति नियमानुसार जमा कराने के पश्चात् तथा मंडी उप विधि अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के पश्चात् समय-सीमा में प्रकरणो का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के साथ ही मंडी बोर्ड मुख्यालय स्तर पर सी.एम.हेल्पलाईन पोर्टल पर एल-4 स्तर पर दर्ज शिकायतों को एल-3 स्तर (आंचलिक संयुक्त/उप संचालक) पर अंतरित किया गया है। ऐसी एल-3 स्तर की शिकायतों का समय-सीमा में शत प्रतिशत निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही प्रत्येक जिलों के उत्पादन के विरुद्ध मण्डी समितियों में जिन जिन्सों की आवक में कमी परिलक्षित हुई है के बारे में अंचल प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त कर निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये :-

1. समस्त अंचल प्रभारियों को अपने अंचल की प्रत्येक मण्डी समिति पर प्रभावी नियंत्रण रखें, मण्डी सचिव के सतत सम्पर्क में रहें।
2. अंचल की प्रत्येक मण्डी समिति में मण्डी उपविधि के अधीन विपणन कार्ययोजना तैयार करायें।
3. जिले के किसान कल्याण विभाग के अमले से समन्वय कर अद्यतन उत्पादन के अनुरुप मण्डी समितियों में कृषि जिन्सों की आवक का आगमन सुनिश्चित करायें।
4. अंचल कार्यालय की समीक्षा के समय मण्डी सचिव के साथ कृषि उपजों के उत्पादन के विरुद्ध आवक में कमी के कारणों की समीक्षा/रिसर्च/मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
5. मण्डी सचिव को चाहिये की वे अपने मण्डी क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों एवं इस व्यवसाय से जुड़े कृत्यकारियों के सजीव सम्पर्क में रहें, आवक की कमी के संबंध में आंकलन कर उनसे विचार विमर्श और सुझाव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें।
6. जिन मण्डियों में कृषि उत्पादन विक्रय के लिये कम आ रहा है कि स्थिति को संज्ञान में लेकर समस्त अंचल प्रभारी अपने अपने अंचल की मण्डी समितियों का भ्रमण कर कमी के वास्तविक कारणों को समझकर आवश्यक कार्यवाही करें।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/समन्वय/ज.से.अभि./2023/1847 भोपाल, दिनांक 30 /05/2023

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल